उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-03/2020/104 /92-2-2020-101एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 10 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यूपी-1059 के अधीन हल्दी बयासी पान्टून ब्रिज से जबही दीयर तक मार्ग के वर्ष 2013 की वर्षाकाल में आई बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग को बिना किसी देखभाल (**Unattended**) के छोड दिये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मो0 रिजवान साबिर खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-बलिया सम्प्रति पीआईयू-महोबा को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 03/2020/104(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता,ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बलिया।
4- श्री मो0 रिजवान साबिर खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, पीआईयू-बलिया सम्प्रति पीआईयू0 -महोबा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in